न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या 108/2021

वादीगण :-

1. कसूमी पत्नि सुल्तानखॉं
2. कंवरी पुत्री सुल्तानखॉं
3. धीमा पुत्री सुल्तानखॉं
4. सुमी पुत्री सुल्तानखॉं
5. हाजा पुत्री सुल्तानखॉं
6. रमजानखॉं पुत्र सुल्तानखॉं
7. फकीरखॉं पुत्र सुल्तानखॉं (फौत) के कायम मुकाम
   7/1 जकाउदीन पुत्र फकीरखॉं
   7/2 साबा पुत्री फकीरखॉं
   7/3 जीमी पत्नि फकीरखॉं

सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासी तालाब की ढाणी, बगड़की तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

भूमिधारी जरीये तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री मन्सुर अली छीपा वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 08.04.2022

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रियां पटवार क्षैत्र रियां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे खसरा संख्या 373 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 820 व पुराना 546 पर इन्द्राजसुदा है। खसरा संख्या 373 मे सतारखॉं पुत्र दूंगेखॉं का 1/5 वां हक व हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है। सतारखॉं का वास्तविक व सही नाम तथा दस्तावेजो मे अंकित नाम व अन्य गांवो मे स्थित कृषि भूमियो मे नाम सुल्तानखॉं पुत्र करीमखॉं इन्द्राज है लेकिन घरेलु नामवश राजस्व रेकर्ड मे सतारखॉं पुत्र दूंगेखॉं इन्द्राज हो गया व उक्त त्रूटिपूर्ण नाम के कारण राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज करवाने मे बाधा उत्पन्न हो रही है क्योंकि सुल्तानखॉं पुत्र करीम खॉं का देहान्त हो चुका है व उक्त नाम को राजस्व रेकर्ड मे सही किये जाने से किसी भी अन्य खातेदार को कोई आपत्ति नही है। ग्राम रियां मे खाता संख्या 726 मे व ग्राम पीपाड़ शहर के खाता संख्या 1002 मे व ग्राम सिन्धीपुरा के खाता संख्या 420 व 483 मे वादीगण के पिता/पति/ससुर/दादा का नाम सुल्तानखॉं पुत्र करीमखॉं इन्द्राज है इसलिए ग्राम रियां मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 373 मे सुल्तानखॉं पुत्र करीमखॉं नाम इन्द्राज घोषित किये जाने हेतु उक्त वादपत्र प्रस्तुत है। वादीगण ने उक्त नाम को

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

सही करवाने हेतु दिनांक 11.10.2021 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश होने के पश्चात ही नाम दुरूस्त करने का सुझाव दिया व कानूनी रूप से नाम सही नही करने हेतु अपने आप को असमर्थ बताया इसलिए वादीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है :- वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की नाम शुद्धि की घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम रियां की राजस्व सीमा मे स्थित खसरा संख्या 373 मे सतारखॉं पुत्र डूगेखॉं के स्थान पर सुल्तानखॉं पुत्र करीमखॉं किये जाने के आदेश फरमावे।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड शहर जवाब प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम रियां के खसरा नम्बर 373 में सतार खां पुत्र डूगे खां के स्थान पर सुल्तानखां पुत्र करीम खां नाम घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी तहसीलदार को कोई आपति नही है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रियां के खसरा नम्बर 373 में दर्ज नाम सतार खां पुत्र डूगें खां के स्थान पर सुल्तान खां पुत्र करीम खां दूरूस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(दूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

आदेश आज दिनांक 08.04.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(दूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर